न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 207 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
मोतीसिह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर।		1 गोमदाराम 2. पोकरराम 3. भुराराम 4. मोहनराम 5. हीराराम पिसरान विरधाराम जातियान जाट निवासीयान कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री भूरचन्द जांगिड़ प्रार्थी।
2. श्री कुम्भाराम चोधरी अप्रार्थी संख्या 01 से 05।

आदेश

दिनांक 20/03/25

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कगाऊ तहसील बाडमेर व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 610/389 रकबा 6.5910 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के खेत मौजा कगाऊ तहसील बाडमेर व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 410/137 रकबा 1.2788 हैक्टेयर में से एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थी, विप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे डूगेरो का तला से नौखड़ा चलने वाले मार्ग पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/251ए/2024/2393 दिनांक 18.12.2024 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा कगाऊ पटवार हल्का कगाऊ के खसरा संख्या 610/389 की भूमि में से डामर सड़क तक आने–जाने हेतू न्यूनतम दूरी के मार्ग हेतू मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट खातेदारों की उपस्थिति में तैयार की गई है, खसरा संख्या 610/389 के खसरा संख्या 397/937 का कोना डामर सड़क से न्यूनतम दूरी पर स्थित है लेकिन उक्त स्थान पर धोरा होने से रास्ते हेतू उपयुक्त नहीं है लिहाजा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 610/389 में आवागमन हेतू न्यूनतम दूरी पर कटाण डामर सड़क खसरा संख्या 396/937 किस्म गै.मु. सड़क स्थित है जहां से प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए मौजा कगाऊ तहसील बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

जिला बाडमेर के खसरा संख्या 410/137 रकबा 1.2788 में निम्नानुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित की है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	1 गोमदाराम 2. पोकरराम 3. भुराराम 4. मोहनराम 5. हीराराम पिसरान विरधाराम जातियान जाट निवासीयान कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर सा.देह खातेदार	410/137	1.2788	86 X 05	0.0430	24080

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने मौका रिपोर्ट पर आपति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर निराधार एवं गलत तथ्यों पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी नोटिस व्यक्तिगत तामिल नही हुए है। मौका रिपोर्ट की अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित होकर तैयार नही की गई है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को सूचना दी गई। मौका रिपोर्ट एक पक्षीय तैयार की गई है, जो रिकॉर्ड पर लेने योग्य नही है। मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता वर्तमान में विघमान नही है प्रार्थीगण के पास पहले से ही आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर द्वारा भू.अ. निरीक्षक द्वारा तैयार करने हेतु निर्देशित किया परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है, जबकि मौका रिपोर्ट उभय पक्षों की उपस्थिति में तथा सभी पक्षकारों के हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिए, जो एक पक्षीय मौका रिपोर्ट होने के कारण पुनः मौका रिपोर्ट बनाने हेतु तहसीलदार बाडमेर को निर्देशित करवाने का आदेश फरमावें।

तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता जो मौके पर खाली है किसी प्रकार का निर्माण नहीं हैं, प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त प्रस्तावित

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग "लाल" से प्रदर्शित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251-क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है" जो तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है, दूसरे रास्ते का कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा कगाऊ तहसील बाडमेर व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 410/137 रकबा 1.2788 में निम्नानुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	1 गोमदरम 2. पोकराराम 3. भुराराम 4. मोहनराम 5. हीराराम पिसरान विरधाराम जातियान जाट निवासीयान कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर सा.देह खातेदार	410/137	1.2788	86 X 05	0.0430	24080

तहसीलदार बाडमेर को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी की दूगुनी राशि 24080/-के प्रार्थी बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 18.12.2024 के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 20/03/25 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर